6

अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान

[25/2/2026]

(मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग की पंजीकृत संस्था)

Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis

(A Regd. Body of Govt. of M.P. under Public Service Management Department)

(परिशिष्ठ-अ)

सन्दर्भ: विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-2236 द्वारा माननीय विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल-द्वारा प्रदेश के 9300 जनसेवा मित्रों की बहाली एवं न्याय के संबंध में।

1. म.प्र. शासन की स्वीकृति से संस्थान में युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान कर उनके कौशल वर्धन एवं रोजगार क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से, CMYIP (Chief Minister's Youth Internship Program) अंतर्गत इंटर्नशिप (अवधि -06 माह प्रति बैच) करवाई गई थी । फरवरी, 2023 से जनवरी, 2024 तक संचालन के उपरांत CMYIP प्रशासनिक कारणों से निरंतर नहीं है ।
2. इंटर्नशिप के आवेदन के समय उपलब्ध कराई गई नियमावली के बिंदु क्रमांक 10.6 तथा नियुक्ति पत्र (क्र 29651 दि. 04/02/2023 एवं क्र. 31807 दि. 01/08/2023) के बिंदु 2 में इन्टर्नशिप अवधि 6 माह होने, इसे किसी भी प्रकार के रोजगार से संबंधित नहीं होने तथा भविष्य में भी इससे संबंधित कोई दावा मान्य नहीं होने का स्पष्ट उल्लेख है । अतः उपलब्ध अभिलेखों के माध्यम से अभ्यर्थियों को उक्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी दी गई थी ।
3. कुछ अभ्यर्थियों द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष याचिका (WP 6618/2024) प्रस्तुत की गई थी, जिसमें उन्होंने उल्लेखित आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए, उक्त तथ्यों की जानकारी होना मान्य किया है । याचिका में पारित न्यायालयीन निर्णय (दि. 02/04/2024) "The petition is disposed of directing respondent No.4 to consider the petitioners' pending representation and pass appropriate order thereon within a period of 15 days from the date of submitting copy of this order. If the mission is still continued and services of the petitioners are required, respondent No.4 may consider the claim of the petitioners for their extension in service rather appointing fresh candidates." के परिपालन में संस्थान द्वारा जारी सकारण आदेश (क्र.AIGGPA/ADMN/CMYPDP/2024/E-34147 दि. 24/05/2024) के द्वारा सर्व संबंधितों को समस्त तथ्यों से अवगत करवाया जा चुका है । यह आदेश संस्थान की वेबसाईट (www.aiggpa.mp.gov.in) पर उपलब्ध है ।
4. सकारण आदेश में स्पष्ट उल्लेख है, कि चूंकि याचिकाकर्ता को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, बल्कि रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से इन्टर्नशिप कार्यक्रम में इन्टर्न/मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र के रूप में रखा गया था, इस कारण से योजना के प्रचलनशील होने की स्थिति में याचिकाकर्ताओं की सेवा में विस्तार किया जाने से उक्त योजना के उद्देश्य ही पराजित हो जायेंगे । योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे इन्टर्नशिप समाप्त होने के पश्चात अभ्यार्थियों को किसी प्रकार का स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, अतः प्रावधान के अभाव में अभ्यार्थियों को सेवा विस्तार दिया जाना संभव नहीं है ।

कार्यक्रम समन्वयक

AIGGPA STORE BHOPAL

AIGGPA BHOPAL

An ISO 9001: 2015 Organisation

कार्यालयसुशासन भवन :, भदभदा चौराहा, टी 462003 (.प्र.म) नगर भोपाल .टी.

दूरभाष क्रमांक (0755) 2777316, 2777308, 2770765,2770695,2770538,2770761 फैक्स क्रमांक (0755) 2777316

ई मेल-: aiggpa@mp.gov.in वेबसाइट: www.aiggpa.mp.gov.in

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग